संख्या-13/1751/63-व0उ0-2014-70(एच)/98

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2014**

विषय:- उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 के पत्रांक-4715/वित्त-1/2014-15, दिनांक 12.09.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू किये जाने हेतु संलग्न सूची के अनुसार 59 कार्मिकों के लिये रू0 2,37,41,415;00 (रूपया दो करोड़ सैंतिस लाख, इक्तालिस हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) ब्याज रहित ऋण के रूप में इस शर्त के साथ् दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त कर्मचारियों में से जिन कार्मिकों के विरूद्ध गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही आदि प्रचलित है, उनको वी0आर0एस0 की सुविधा नहीं दी जायेगी। उक्त धनराशि का आहरण कर उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कर्मचारियों को वी0आर0एस0 की स्वीकृति/धनराशि की गणना सार्वजनिक उद्यम विभाग के संगत शासनादेशों के अनुरूप है एवं उपर्युक्त कर्मचारी सार्वजनिक उद्यम विभाग के संगत शासनादेशों के अन्तर्गत वी0आर0एस0 सुविधा के पात्र हैं। ऋण की शर्तें निम्नवत हैं :-

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा भुगतान की प्रगति से शासन को यथामय अवगत कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप निगम का जितना दायित्व कम होगा, उसका कम से कम 50 प्रतिशत अंश की धनराशि ऋण की वापसी हेतु हथकरघा निगम द्वारा शासन को भुगतान किया जायेगा।

(3) निदेशक, हथ्करघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर द्वारा ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार, राजकीय कार्यालय-महालेखाकार, लेखा प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि एवं लेखा शीर्षक अंकित करते हुए भेजेंगे। हथकरघा निगम जब भी किश्तों का भुगतान करें, इसकी सूचना वे महालेखाकार कार्यालय को निम्नलिखित प्रारूप में अवश्य भेजेंगे :-

I. कोषागार का नाम .....
II. चालान संख्या व दिनांक .....
III. जमा धनराशि रू0 .....किश्त .....ब्याज .....
IV. लेखा शीर्षक जिसके तहत जमा किया गया .....
V. शासनादेश संख्या .....एल0एम0आर0 का संदर्भ .....
VI. पिछले जमा का संदर्भ .....

(4) ऋणी संस्था आहरण के प्रत्येक वर्षगॉठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के लेखों से अवश्य करायें।

(5) भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित हो जाये कि ऋणी संस्था ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उपरोक्त ऋण के संदर्भ में उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर को शासन के साथ एक अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर निष्पादित करना होगा, जिसमें ऋण की समस्त शर्तों का उल्लेख होगा।

(7) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप जो पद रिक्त होंगे, उनमें भविष्य में कभी भी भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा ऐसे पदों को कर्मचारी/अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने की तिथि से समाप्त घोषित कर दिया जायेगा।

(8) इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जाने वाली राशि के लिये कट-ऑफ डेट 30 सितम्बर, 2014 है। यदि स्वीकृत राशि से देयता में वृद्धि होती है, तो उसका व्यय भार निगम द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा तथा शासन द्वारा इस हेतु अतिरिक्त सहायता नहीं दी जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वित्त नियन्त्रक/लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 2,37,41,415.00 (रूपया दो करोड़ सैंतिस लाख इक्तालिस हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 के अधीन लेखाशीर्षक-"6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज-आयोजनेतर-800-अन्य कर्ज-03 रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-4-152, दिनांक 19-12-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-1751(1)/63-व0उ0-2014-70(एच)/98, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक/लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कानपुर।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/ वित्त (बजट) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज बहादुर
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in